न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2691–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–7–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 06/2007–08/अ–27

.....

मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री एम.एल.शर्मा
निवासी लोहामण्डी ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मनोज कुशवाह पुत्र श्री रामजीदास
निवासी नई सड़क लश्कर ग्वालियर
2–सुल्तानसिंह पुत्र श्री बाबूलाल
निवासी तारागंज काला सैयद बेलदार पुरा
लश्कर ग्वालियर
3–नंदराम पुत्र बालमुकुंद
4–मनीराम पुत्र बालमुकुंद
5–छुकुमा पुत्र बालमुकुंद
6–गोमा पुत्री बालमुकुंद
7–विमला पुत्री बालमुकुंद
8–संतो बेवा मनीराम
9–रिंकू पुत्र मनीराम
10–वीरू पुत्र मनीराम
11–दीपक पुत्र मनीराम
12–भगवानसिंह पुत्र जानकीप्रसाद
13–देवलाल पुत्र जानकीप्रसाद
14–काशीबाई पुत्री जानकी प्रसाद
15–नत्थाराम
16–अमरसिंह
17–राजू
18–बलराम नाबालिग पुत्र रामजीलाल
सरपरस्त भाई नत्थाराम
19–पार्वतीबाई पुत्री रामजीलाल
20–मुन्नीबाई पुत्री रामजीलाल
21–पन्नालाल पुत्र खुमान
22–राजेन्द्र पुत्र खुमान
23–गिटटोबाई पुत्री खुमान
24–कमलाबाई पुत्री खुमान

25–देवीसिंह पुत्र रामेश्वर
26–नूतनलाल प्रकाश पुत्र रामेश्वर
27–बाबूसिंह पुत्र देवलाल
28–बंसती पुत्री देवलाल
29–रविन्द्र पुत्र नत्थाराम
30–छोटू पुत्र नत्थाराम
निवासीगण ग्राम कोटा लश्कर एवं ग्राम अजयपुर जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री एन.डी.शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार वृत्त लश्कर ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 7/06–07/अ–27 में दिनांक 23–7–07 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 12–12–07 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–12–10 को आदेश पारित कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 2 एवं आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रकरण अवेट होने से समाप्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–11–14 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 23–7–07 को वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा

स्थिर रखा गया । अतः तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक अंतरिम आदेश दिनांक 10–7–15 को पारित कर पूर्व अंतरिम आदेश दिनांक 23–7–07 के कम में आवेदक के साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया गया । तहसील न्यायालय के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 10–7–15 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा है, इसलिये आवेदक द्वारा निगरानी मेमों उठाये गये आधारों पर ही विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष बटवारा प्रकरण लंबित रहने के दौरान दिनांक 15–7–10 को अनावेदक कमांक 2 द्वारा भूमि को विकय कर दिया गया है । उक्त विकय पत्र न्यायालय षष्टम जिला जज ग्वालियर द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 5–5–08 के विपरीत था क्योंकि न्यायालय द्वारा यह पारित किया गया था कि बटवारे का निराकरण कराये बिना संपत्ति को विकय नहीं करेंगे और न ही विकय पत्र को सम्पादित करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय इन तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी आधार लिया गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा बटवारा प्रकरण प्रस्तुत किया है तथा उसके द्वारा बटवारा प्रकरण लंबित रहने के दौरान दिनांक 15–7–10 को विकय पत्र कर दिया जिसकी प्रति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व के पारित आदेशों का उल्लेख आदेश में किया है । पूर्व के पारित आदेशों का वर्तमान स्टेज पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि पूर्व के आदेश दिनांक 23–7–07 के बाद दिनांक 15–7–10 को भूमि का विकय किया है जो कि सिविल न्यायालय के स्टे विपरीत है, इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है । पूर्व के आदेश की परिस्थितियॉ भिन्न थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेज निर्णय एवं डिकी दिनांक 5–5–08

व विक्रय पत्र दिनांक 15–7–10 पर कोई विचार ही नही कर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत 6 माह के अंदर व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया जाना चाहिये, परन्तु वर्तमान प्रकरण में आवेदक की ओर से कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य इस आशय का समझौता हुआ था कि उभयपक्ष बटवारा प्रकरण में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, परन्तु आवेदक द्वारा सहयोग नहीं करते हुये निगरानी दर निगरानी प्रस्तुत की जा रही हैं, क्योंकि वह प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं होने देना चाहता है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का अंतरिम आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ शेष अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा जिस बिन्दु पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, इस संबंध में पूर्व में भी राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो कि निरस्त हो चुकी है । अतः इसी प्रकार की आपत्ति आवेदक की ओर से बार–बार उठाई जाने के कारण तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–07–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर